न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर.

श्री .... पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक 61-II/09 /09 जिला–दतिया

द्वारा आज दि० .... को प्रस्तुत। 61-१०९/०९

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

श्री के. के. त्रिवेदी अधि.
द्वारा आज प्रस्तुत।
वकालतनामा प्रस्तुत है।

किशोरी पत्नी रूप सिंह, निवासी ग्राम पडरीकलॉ, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया(म.प्र.) .... आवेदिका

विरूद्ध

(1) अनीता पत्नी महेन्द्रसिंह,
(2) अनु नाबा. पुत्री महेन्द्रसिंह,
(3) तनु नाबा. पुत्री महेन्द्रसिंह संरक्षक माँ अनीता देवी पत्नी महेन्द्रसिंह, निवासीगण पडरीकलॉ, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया (म.प्र.), ... अनावेदकगण

14/1/09

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अपील/08–09 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2009 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदिका की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

(1) यहकि, पडरीकलॉ, तहसील भाण्डेर, जिला दतिया में स्थित भूमि सर्वे कमांक 253 रकवा 10.15 हैक्टेयर के भूमि स्वामी संयुकत रूप से महेन्द्रसिंह, सुजीतसिंह एवं अजीतसिंह पुत्रगण श्री रूपसिंह थे। महेन्द्रसिंह की मृत्यु एक टैक्टर एक्सीडेन्ट में हो जाने से उसकी विधवा पत्नी द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 16 पर आदेश दिनांक 14.03.2008 द्वारा अपने नाम एवं अपनी नाबालिग पुत्रीयों के नाम नामान्तरण करा लिया। यह सब कार्यवाही एकपक्षीय रूप से एवं जल्दबाजी में की गई । इस नामान्तरण के पूर्व ना तो विधिवत इश्तहार का प्रकाशन किया गया और ना ही आपत्तियॉं आमत्रित की गई और यहां तक की हितबद्ध व्यक्तियों को व्यक्तिगत सूचना भी नहीं दी गयी। भूमिस्वामी महेन्द्रसिंह मॉं जीवित थी। अतः ऐसी स्थिति में उन्हें विवादित भूमि में हिस्सा 1/2 भाग प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार था,

14-1-09
K. K. Dwivedi

किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इस वैधानिक बिन्दु को अनदेखा कर जो आदेश पारित किया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि, आवेदिका द्वारा नामान्तरण पंजी कमांक 16 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2008 के विरूद्ध संहिता की धारा 44 के अधीन प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, भाण्डेर के समक्ष प्रकरण कमांक 87/07–08 प्रस्तुत की गयी। उक्त अपील में आवेदिका द्वारा आदेश 1 नियम 10 के अधीन एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा आवेदिका को उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। अतः ऐसी स्थिति में उसे अपील प्रस्तुत करने की

R.61/I/09 [illegible]

ए/4 टाल- फाम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
7-11-14	[illegible] 3-12 [illegible] 27-1-15	27.1.15 [illegible] 27.1.15
13-12-14 लोक अदालत	प्रकरण आज लोक अदालत में सुनवाई हेतु लिया गया। प्रकरण में आवेदक किशोरी मय अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक अनीता धाकड़ सह अभिभाषक श्री [illegible] धाकड़ उपस्थित। दोनों पक्षों ने उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। जिसकी पुष्टि दोनों पक्षों द्वारा की गई। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर प्रकरण समाप्त किया जाता है। यह राजीनामा आदेश का अंग रहेगा। प्रकरण दाखिल दफ्तर हो। (आर.के. शर्मा) सदस्य 1 (रजनी [illegible]) सदस्य 2 (डा० मधु खरे) अध्यक्ष	अनीता धाकड़ 13.12.14

शाक्षेमुग्वा-80-फासेग्वा-15-6-10-5,000 प्रपत्र.